राजकीय महाविद्यालय, तीसा तहसील चुराह जिला चम्बा के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 7/2006 से 3/2015

1 प्रारम्भिक

(क) प्रधान, सचिव, उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या EDN.A.(kha)(16).1095.p(iii) loose दिनांक 11.7.2006 के अन्तर्गत इस महाविद्यालय को वर्ष 2006 में आरम्भ किया गया। महाविद्यालय के अवधि 7/2006 से 3/2015 के छात्र निधि लेखों का प्रथम अंकेक्षण श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियन्त्रक) व श्री संदीप कमल (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 18.6.15 से दिनांक 7.7.15 के दौरान महाविद्यालय परिसर में सम्पन्न किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित माह का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	**2006—07**	**2007—08**	**2008—09**	**2009—10**	**2010—11**
आय	10.2006	10.2007	07.2008	12.2009	08.2010
व्यय	.	02.2008	10.2008	05.2009	08.2010
वित्तीय वर्ष	**2011—12**	**2012—13**	**2013—14**	**2014—15**	
आय	06.2011	09.2012	06.2013	07.2014	
व्यय	09.2011	03.2013	07.2013	09.2014	

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय प्रधानाचार्य व आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की गई।

क्र0 सं0	**प्रधानाचार्य का नाम**	**अवधि**
1	श्री मौहिन्द्र मल्होत्रा	07.2006 से 10.2006
2	श्री एम0एल0 शर्मा	11.2006 से 02.2007
3	श्री दीपक ठाकुर	24.02.2007 से 01.06.2007
4	श्री एम0एस0 जम्बाल	19.02.2007 से 03.04.2010
5	श्रीमति भुवन विज	27.07.2010 से 31.01.2012
6	डा0 अनिल जरयाल	04.10.2012 से 31.03.2015

(ग) वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन को महाविद्यालय प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं हैं।

(घ) अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	9	सम्बन्धित निधि खाते में राशि जमा न करना	0.17
2	10	विभिन्न निधियों के रूप में राशि की कम वसूलियां करना	0.63
3	11	मिश्रित निधि से राशि की निकासी करके अनियमित/दोहरा भुगतान करना	0.24
4	13	मिश्रित निधि से विश्वविद्यालय शुल्कों के रूप में राशि का भुगतान करना	0.56
5	14	भुगतान की राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर तथा अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	0.81
6	15	महाविद्यालय के छात्रों तथा छात्राओं को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रैक्टिस के दौरान जलपान पर अनियमित भुगतान करना	0.25
7	17	पुस्तकालय हेतु खरीदी गई 30 नम्बर कुर्सियों की खरीद पर व्यय करने से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.54
8	19	मिश्रित निधि से अनियमित व्यय करना	0.08

2 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय महाविद्यालय तीसा के अवधि 7/2006 से 3/2015 के छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क महाविद्यालय की वार्षिक वसूलियों के आधार पर ₹63000 का आंका गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	वर्ष	वर्ष की कुल वसूलियां	अंकेक्षण शुल्क
1.	2006–07	19814	5000
2.	2007–08	49708	5000
3.	2008–09	133145	5000
4.	2009–10	265684	8000
5.	2010–11	356050	8000
6.	2011–12	366337	8000
7.	2012–13	311922	8000
8.	2013–14	329375	8000
9.	2014–15	379868	8000
		कुल अंकेक्षण शुल्क	**₹63000**

इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला (9) के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या LAD (Audit) 2015-16/75 दिनांक 01.07.2015

द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹63000 की बैंक ड्राफ्ट संख्या 873415 दिनांक 03ण07ण2015 के अन्तर्गत प्रेषित कर दी गई।

3 वित्तीय स्थिति

(क) राजकीय महाविद्यालय तीसा द्वारा प्रस्तुत विभिन्न छात्र निधियों की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2006-2007	0	1560	8	1568	0	1568
2007-2008	1568	8520	134	10222	0	10222
2008-2009	10222	22365	555	33142	16000	17142
2009-2010	17142	38489	1031	56662	0	56662
2010-2011	56662	27425	2523	86610	1997	84613
2011-2012	84613	207491	7188	299292	65669	233623
2012-2013	233623	193632	12720	439975	76128	363847
2013.2014	363847	117029	6294	487170	11560	475610

उपरोक्त छात्र निधियों का दिनांक 04.10.2013 को अन्त शेष निम्न प्रकार से पाया गया तथा महाविद्यालय द्वारा इन समस्त निधियों के खाते दिनांक 04.10.2013 को बन्द कर दिए गए थे एवं इन खातों में जमा ₹4,75,610 का हस्तांतरण मिश्रित निधि के खाता संख्या 3080 में दिनांक 04.10.2013 को ही कर दिया गया था।

क्र0 सं0	निधि का नाम	बैंक खाता संख्या	दिनांक 04.10.2013 रोकड़ वही में शेष	दिनांक 04.10.2013 को बैंक में शेष
1	H.P.V Sports Fund	3077	41626	41626
2.	R-R Fund	3079	89333	89333
3	Library Security	7331	31610	31610
4	House Examination	7332	9973	9973
5	Medical Fund	7333	6048	6048
6	Campus Development	7334	10079	10079
7	Book Replacement	7335	24912	24912
8	Funrniture Repair	7336	10079	10097
9	Identiy Card	7337	10564	10564
10	Magezine Fund	7338	36501	36501
11	N.C.C Fund	7339	5041	5041
12	Student Aid Fund	7340	2016	2016
13	Cultural Activity	7341	20160	20160
14	Computer - Internet	7342	20160	20160
15	Sports Fund	7343	156039	156039
16	Absence Fine	7512	1469	1469
		योग	**₹4,75,610**	**₹4,75,610**

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय तीसा द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालय की मिश्रित निधि (जिसमें उपरोक्त वर्णित निधियों की राशियां भी समिलित हैं) तथा ज्योग्राफी निधि की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। **–परिशिष्ट–"ख"**

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	अन्य निधियों से हस्तांरित राशि	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2006-07	0	18254	79	-	18333	0	18333
2007-08	18333	41188	912	-	60433	23268	37165
2008-09	37165	110780	2163	-	150108	46412	103696
2009-10	103696	227195	2946	-	333837	219058	114779
2010-11	114779	328625	8613	-	452017	103915	348102
2011-12	348102	158846	13869	-	520817	142761	378056
2012-13	378056	118290	18731	-	512077	87503	424574
2013-14	424574	212346	15681	475610	1128211	244545	883666
2014-15	883666	379868	70305	-	1333839	259682	10,74,157

इन निधियों को दिनांक 31.03.2015 को रोकड़वहीं एवं पास बुक का निधिवार अंन्तिम शेष निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	निधि का नाम	बैंक खाता संख्या	बैंक में 31.03.2015 को शेष राशि	सावधि जमा	रोकड़ वही में 31.3.2015 को शेष राशि
1.	Amalgamated - other Fund	3080	3,64,400	6,55,850	10,20,250
2.	Geography Fund	7344	53907	..	53907
		कुल	418307	655850	1074157

(ग) सावधि जमा के रूप में निवेश का विवरण निम्न प्रकार से हैः.

सावधि जमा खाता संख्या	निवेशित राशि	निवेश की तिथि	परिपक्वता राशि	परिपक्वता की तिथि
FDR No. 1223213 HPSCB Bhanjraru	6,55,850	04.10.2014	7,16,899	04.10.2015

4 वर्गीकृत रोकड़वही (Classified Cash Book) तैयार न करना

जांच में पाया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न निधियों के लिए निम्न विवरणानुसार एक ही रोकड़वही तैयार की गई थी।

Amalgamated Fund :- Amalgamated Fund, R-R Fund, Library Security, House Examination, Medical Fund, Campus Development, Book Replacement, Furniture Repair, Identity Card, Magezine, NCC, Student Aid, Cultural Activity, Computer - Internet, Sports, Absence Fine Fund.

इस प्रकार विभिन्न निधियों का हिसाब.किताब वगीकृत रोकड़वही (Classified Cash Book) में नहीं रखा गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि एक से अधिक निधियों की राशियों का रखरखाव करने के लिए वर्गीकृत रोकड़ वही तैयार करनी सुनिश्चित की जाए।

5 रसीद बुकों का नियमानुसार अभिलेख तैयार न करना तथा रसीदों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से छात्र निधियों के एकत्रीकरण के लिए जो रसीद बुकें प्रयोग की गई थी, उनका भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही इनको जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गये, जिसके अभाव में यह पता लगाना सम्भव नहीं था कि अंकेक्षण अवधि में कितनी रसीद बुकें छपवाई गई, कितनी रसीद बुकें जारी की गई थीं और कितनी रसीद बुकें भण्डार में शेष हैं। अतः परामर्श दिया जाता है कि रसीद बुकों का उचित प्रकार से अभिलेख रखने हेतु रसीद बुकों को भण्डार रजिस्टर में लेने के पश्चात ही इन्हें सम्बन्धित कर्मचारी को नियमानुसार जारी करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पुस्तकालय निधि में ₹44300 हस्तान्त्रित न करने बारे

जांच में पाया कि वर्ष 2006.07 से वर्ष 2010.11 तक पुस्तकालय निधि की राशि विश्वविद्यालय निधि में जमा की जाती थी एवं पुस्तकालय निधि का खाता संख्या 7331 वर्ष 2011.12 में प्रारम्भ किया गया था, लेकिन वर्ष 2010.11 तक उक्त निधि की निम्नविवरणानुसार जमा ₹44300 पुस्तकालय निधि में हस्तान्त्रित नहीं की गई थी। अतः कालातीत पुस्तकालय निधि की राशि जोकि विश्वविद्यालय निधि के खाता संख्या 3076 में जमा है को शीघ्र अतिशीघ्र पुस्तकालय निधि में हस्तान्त्रित करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इसका प्रयोग विद्यार्थियों की भलाई कार्यों हेतु किया जा सके।

क्र0 सं0	वर्ष	पुस्तकालय निधि की राशि
1.	2006/07	1700
2.	2007/08	5700
3.	2008/09	7300
4.	2009/10	12900
5.	2010/11	16700
	योग	**₹44300**

7 राजकीय कोष में जमा ₹4225 जमा न करना

वर्ष 2006.07 की आय की जांच में पाया कि दिनांक 26.07.2006 से 05.09.2006 के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों से टयूशन फीस एवं प्रवेश फीस के रूप में ₹4225 की वसूली की गई थी, जोकि राजकीय कोष में जमा की जानी अपेक्षित थी, लेकिन यह राशि दिनांक 04.10.2006 को मिश्रित निधि खाता के संख्या 3080 में जमा कर दी गई थी। अतः ₹4225 को मिश्रित निधि से निकालकर राजकीय कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 विभिन्न निधियों की एकत्रित राशि को 4 से 5 माह के पश्चात सम्बन्धित निधियों खाते में जमा करने के फलस्वरूप दण्ड ब्याज के रूप में ₹15435 की वसूली न करने बारे

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया कि राजकीय महाविद्यालय तीसा द्वारा विद्यार्थियों से विभिन्न निधियों की राशि एकत्रित करने के 4 से 5 माह पश्चात बैंक में जमा करवाई गई थी, जोकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971, Vol.1 के नियम 2ण्2 की अवहेलना है, क्योंकि देरी से राशि जमा करवाने पर इस अवधि में इस राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः राशि को देरी से जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा निम्न विवरणानुसार दण्ड ब्याज के रूप में ₹15435 की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे बैंक में जमा करने उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Receipt No. - Date	Amount	Date of Deposit	Delay in Deposit	Panel Interest - 18.5%
0783651 Dated 26.07.06	888	04.10.06	67 Days	30
0783652 Dated 28.07.06	888	04.10.06	65 Days	29
0783653 Dated 28.07.06	888	04.10.06	65 Days	29
0783654 Dated 29.07.06	888	04.10.06	64 Days	29
0783655 Dated 29.07.06	888	04.10.06	64 Days	29
0783656 Dated 29.07.06	888	04.10.06	64 Days	29
0783657 Dated 29.07.06	888	04.10.06	64 Days	29
0783658 Dated 29.07.06	888	04.10.06	64 Days	29
0783660 Dated 29.07.06	888	04.10.06	64 Days	29
0783664 Dated 24.08.06	888	04.10.06	39 Days	18
0783665 Dated 31.08.06	888	04.10.06	31 Days	14
0783666 Dated 05.09.06	888	04.10.06	26 Days	12
0783667 Dated 14.09.06	888	04.10.06	17 Days	8

R.No. 783690 to R.No. 783700 - R.No. 783754 to 783769 Dated 20.06.07	22476	15.10.07	115 Days	1310
R.No. 783770 to 783778 Dated 26.06.07	6372	15.10.07	109 Days	352
R. No. 783779, Dated 29.06.07	968	15.10.07	106 Days	52
783780 to 783782, Dated 10.07.07	2724	15.10.07	95 Days	131
Roll No. 162 to 176 –B.A(I), Roll No. 201 to 217 –B.A(II), Roll No. 301 to 302 –B.A(III) ,Dated 20.07.07	26478	15.10.07	85 Days	1141
R. No. 1 to 15, Dated 17.06.08	8071	22.07.08	33 Days	135
R. No. 16 to 32, Dated 19.06.08	8753	22.07.08	31 Days	138
R. No. 33 to 107, Dated 20.06.08	39295	22.07.08	30 Days	597
R. No. 108 to 112, Dated 30.06.08	2843	22.07.08	19 Days	27
R. No. 113 to 119, Dated 11.07.08	3551	22.07.08	9 Days	16
R. No. 401 to 420, Dated 03.12.09	16030	12.12.09	7 Days	57
R. No. 421 to 480, Dated 04.12.09	52940	12.12.09	6 Days	161
R. No. 481 to 533, Dated 05.12.09	46332	12.12.09	5 Days	117
Roll No. 501 to 515 Dated 15.06.10 (Funds control register P.70 to 80)	14310	13.08.10	57 Days	413
Roll No.516 to 531 Dated 16.06.10	16274	13.08.10	56 Days	462
Roll No.532 to 542 Dated 17.06.10	11554	13.08.10	55 Days	322
Roll No.543 to 567 - 801 Dated 18.06.10	24874	13.08.10	54 Days	681
Roll No.568 to 591,1001 to 1006 Dated 19.06.10	29502	13.08.10	53 Days	793
Roll No.592 to 614 Dated 22.06.10	25488	13.08.10	50 Days	646
Roll No.615 to 617-809 to 813 Dated 23.06.10	6072	13.08.10	49 Days	151
Roll No.618 to 621 - 815 Dated 28.06.10	6114	13.08.10	44 Days	136
Roll No.622 to 632 - 816 to 819 Dated 29.06.10	13020	13.08.10	43 Days	284
Roll No.633 to 646, 820 to 839, 1007 to 1011 Dated 30.06.10	33632	13.08.10	42 Days	716
Roll No.647 to 651, 840 to 842, 1012 to 1013 Dated 12.07.10	8161	13.08.10	29 Days	120
Roll No.652 to 653 Dated 13.07.10	1878	13.08.10	28 Days	27
Roll No.654 to 656 Dated 14.07.10	2622	13.08.10	27 Days	36
Roll No.657, Dated 15.07.10	1044	13.08.10	26 Days	14
Roll No.843 to 844 Dated 16.07.10	1788	13.08.10	25 Days	23
Roll No.845 to 847 - 658 Dated 17.07.10	3551	13.08.10	24 Days	43
Roll No.659 to 660, 848, 1014 Dated 27.07.10	3966	13.08.10	14 Days	28

Roll No. 661 to 662, 849, 850 Dated 30.07.10	3546	13.08.10	12 Days	22
Roll No.663 to 664 Dated 31.07.10	1878	26.08.10	24 Days	23
Roll No.851 to 853, 1015 Dated 03.08.10	2646	26.08.10	21 Days	28
Roll No.1016 to 1023 - 854 Dated 04.08.10	8106	26.08.10	20 Days	82
Roll No.855 to 856 - 1024 to 1027 Dated 05.08.10	4344	26.08.10	19 Days	42
Roll No.1028 to 1030 - 857 to 858 Dated 06.08.10	3870	26.08.10	18 Days	35
Roll No.859 to 880 - 1031 to 1033 Dated 09.08.10	20814	26.08.10	15 Days	158
Roll No.1034 to 1037 - 881 to 884 Dated 10.08.10	6642	26.08.10	14 Days	47
Roll No.666 to 1038 - 885 to 886 Dated 12.08.10	3906	26.08.10	12 Days	24
Roll No.887 to 892 - 1039 to 1040 Dated 13.08.10	7242	26.08.10	11 Days	40
Roll No.1041 to 1043 - 893 to 894 Dated 14.08.10	4650	26.08.10	10 Days	24
Roll No.1.100, 201.3000, 1408.1500, 1501.1519 Dated 18.06.12 to 30.06.12	1,60,984	07.09.12	67 Days	5467
			योग	**₹15434**

9 सम्बन्धित निधि खाते में ₹17060 जमा न करना

(क) वर्ष 2006.07 की आय की जांच में पाया कि रसीद संख्या 0783668 दिनांक 6.10.2006 से 0783689 दिनांक 27.11.2006 के अन्तर्गत विद्यार्थियों से अवधि 4/2006 से 9/2006 की फीस व निधि के रूप में ₹16576 वसूली गई थी, लेकिन इसकी प्रविष्टियां निधि एकत्रीकरण रजिस्टर में नहीं की गई थी, जिसके अभाव में इस राशि की सम्बन्धित निधि खाते में जमा की पुष्टि की जा सकी। इस अनियमितता की सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72 दिनांक 29.06.2015 द्वारा प्रधानाचार्य को दी गई थी, जिसके सन्दर्भ में महाविद्यालय द्वारा पत्र संख्या 153 दिनांक 03.07.2015 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमितता की छानबीन करके एवं इस अवधि में कार्यरत प्रधानाचार्य से पूछताछ के पश्चात वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

(ख) इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि रसीद संख्या 783651 दिनांक 26.07.2006 से रसीद संख्या 783667 दिनांक 14.09.2006 के अर्न्तगत विद्यार्थियों से विभिन्न निधियों के रूप में ₹3955 एकत्रित की गई थी एवं इनकी प्रविष्टि निधि एकत्रीकरण रजिस्टर के पृष्ठ.3 पर की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 04.10.2006 को उक्त राशि में ₹3471 मिश्रित निधि खाते में जमा कर दी

गई थी, लेकिन शेष ₹3955–₹3471=₹484 जमा नहीं की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके इस राशि को सम्बन्धित निधि खाते में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 विभिन्न निधियों के रूप में ₹63935 की कम वसूलियां करना

जांच में पाया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में विद्यार्थियों से विभिन्न निधियों के रूप में ₹63935 की कम वसूली की गई थी, जिनका विवरण निम्नलिखित हैः.

(क) Rover - Ranger फण्ड के रूप में ₹16,395 की कम वसूली करना

(i) वर्ष 2008.09 में महाविद्यालय B.A (I) से B.A (II) के कुल 220 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जिनसे रोवर एवं रेन्जर फण्ड के रूप में ₹5 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से (220x5x2)=₹13,200 वसूली अपेक्षित थी, जबकि वर्ष 2008.09 में वास्तव में उक्त निधि ₹7455 की वसूली की गई थी अर्थात वर्ष 2008.09 में उक्त निधि की ₹13200.₹1455 ₹5745 की कम वसूली की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

(ii) वर्ष 2011.12 में महाविद्यालय में कुल 355 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जिनसे रोवर एवं रेन्जर फण्ड के रूप में ₹5 प्रति माह प्रति विद्यार्थी की दर से 355x5x12=₹1300 की वसूली करना अपेक्षित थी, जबकि वर्ष 2011.12 में उक्त निधि की केवल ₹10,650 की वसूली की गई थी। अर्थात वर्ष 2011.12 में उक्त निधि की ₹10650 की कम वसूली की गई थी। जांच में यह भी पाया कि रोवर एवं रेन्जर फण्ड की 355 विद्यार्थियों से माह 10/2011 से 3/2012 तक 6 माह की वसूली की ही नहीं गई थी, जोकि महाविद्यालय के अधिकारी.कर्मचारियों द्वारा की गई गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करती है। अतः कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

(ख) पुस्तकालय निधि के रूप में ₹10100 की कम वसूली करना

वर्ष 2008.09 में B.A (i) में कुल 174 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जिनसे पुस्तकालय निधि के रूप में ₹100 वार्षिक प्रति विद्यार्थी की दर से कुल ₹17,400 की वसूली की जानी अपेक्षित थी, जबकि वर्ष 2008.09 में वास्तव में केवल ₹7300 की वसूली की गई थी, अर्थात वर्ष 2008.09 में ₹17,400-₹7300=₹10100 की कम वसूली की गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा

इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि पुस्तकालय निधि में जमा करना सुनिश्चित की जाये।

(ग) खेल निधि के रूप में ₹37440 की कम वसूली करना

वर्ष 2012.13 में महाविद्यालय में कुल 312 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जिनसे खेल निधि के रूप में ₹20 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की दर से 312x20x12= ₹74880 की वसूली करनी अपेक्षित थी, जबकि वर्ष 2012.13 में उक्त निधि की केवल ₹37,440 की वसूली की गई थी, अर्थात इस वर्ष में उक्त निधि की ₹37,440 की कम वसूली की गई थी। जांच में यह भी पाया गया कि खेल निधि की विद्यार्थियों से माह 10.2012 से 3.2013 तक 6 माह की वसूली की ही नहीं गई थी। अतः कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके खेल निधि में जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अनियमितताओं की सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77 दिनांक 2.7.2015 द्वारा प्रधानाचार्य को दी गई थी, लेकिन प्रधानाचार्य द्वारा इसके सन्दर्भ में कोई सन्तोषजनक कार्रवाई अमल में नहीं लाई। अतः उपरोक्त वर्णित विभिन्न निधियों के रूप में ₹63935 की कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशियां सम्बन्धित निधि खातों में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमों के अनुसार शत.प्रतिशत राशि की वसूलियां करना सुनिश्चित करें।

11 मिश्रित निधि से ₹24194 की निकासी करके अनियमित/दोहरा भुगतान करना

(क) महाविद्यालय द्वारा माह 9/2009 में दिनांक 8.9.2009 को विभिन्न फुटकर बिलों के भुगतान करने हेतु मिश्रित निधि से कुल ₹24,194 की निकासी की गई, जिसमें से फुटकर बिलों का भुगतान किया गया तथा इस इन्द्राज रोकड़वही के पृष्ठ 22 पर किया गया। अभिलेख की जांच में पाया गया इन भुगतान बिलों में से निम्नलिखित ₹22,345 के फुटकर बिलों का 6 माह बाद माह 3/2010 में दिनांक 17.3.2010 को रोकड़वही के पृष्ठ 30 व 31 पर इन्द्राज करके पुनः भुगतान किया गया दर्शाया गया। इस प्रकार इन बिलों का दोहरा भुगतान किया गया है, जोकि एक गम्भीर अनियमिताा है। इस विषय को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 73 दिनांक 29.6.2015 द्वारा महाविद्यालय प्रधानाचार्य के ध्यान में लाया गया, लेकिन इसके सन्दर्भ में प्रधानाचार्य द्वारा कोई सन्तोषजनक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः निम्न विवरणानुसार दर्शाये गये बिलों के एवज में किए गये दोहरे भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं इसकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से

करके अपेक्षित राशि सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को दोहराने से परिहार किया जाये।

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल संख्या	दिनांक	राशि
1	मै0 हुसैन बाग हार्डवेयर एण्ड जनरल स्टोर	833	01.04.2009	960
2	मै0 हुसैन बाग हार्डवेयर एण्ड जनरल स्टोर	830	03.06.2009	960
3	मै0 हुसैन बाग हार्डवेयर एण्ड जनरल स्टोर	828	02.07.2009	960
4	मैं0 हरीष स्वीट शॉप	144	10.07.2009	840
5	मैं0 हरीष स्वीट शॉप	141	10.07.2009	810
6	मैं0 हरीष स्वीट शॉप	147	10.07.2009	900
7	मैं0 गोपाल वॉच कम्पनी	507	15.07.2009	270
8	मै0 वेद जनरल स्टोर	259	16.07.2009	160
9	मै0 हुसैन बाग हार्डवेयर स्टोर	1044	20.07.2009	240
10	मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज	23	20.07.2009	750
11	मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज	25	21.07.2009	600
12	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	132	29.07.2009	900
13	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	133	30.07.2009	900
14	मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज	38	29.07.2009	600
15	मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज	40	30.07.2009	750
16	मैं0 हुसैन बाग हार्डवेयर एण्ड जनरल स्टोर	24	01.08.2009	960
17	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	135	11.08.2009	600
18	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	138	12.08.2009	600
19	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	137	13.08.2009	600
20	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	142	14.08.2009	600
21	मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज	0	15.08.2009	800
22	मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज	51	15.08.2009	950
23	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	139	15.08.2009	350
24	मैं0 जगदीश एण्ड सन्ज	55	18.08.2009	600
25	मैं0 जगदीश एण्ड सन्ज	56	18.08.2009	600
26	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	148	18.08.2009	900
27	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	149	18.08.2009	150
28	मैं0 हुसैन बाग हार्डवेयर एण्ड जनरल	823	02.09.2009	960
29	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	143	11,12,13.09.09	900
30	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	145	14.09.2009	240
31	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा	146	14.09.2009	975
32	मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज	40	13.09.2009	960
			कुल राशि	**₹22345**

(ख) इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा आहरित की गई ₹24194 के विरूद्ध उक्त विवरणानुसार ₹22345 के ही फुटकर बिल प्रस्तुत किए गए तथा इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा ₹24194–₹22345=₹1800 अधिक आहरित की गई दर्शाई गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 अग्रिम धन में से शेष ₹3050 जमा न करने बारे

महाविद्यालय द्वारा दिनांक 22.11.2011 को श्री एस0एस0 रंधावा को दिनांक 3.11.2011 से 5.11.2011 के दौरान घुमारवीं में आयोजित युवा महोत्सव में छात्रों के भाग लेने पर छात्रों पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु मिश्रित निधि से अग्रधन के रूप में ₹30,000 भुगतान किया गया। इस राशि के समायोजन के रूप में श्री रंधावा द्वारा ₹26,950 के बिल प्रस्तुत किये गये तथा शेष ₹3050 से सम्बन्धित कोई बिल.वाउचर अथवा शेष राशि कब जमा करवाई गई से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः जांच के उपरान्त इस प्रकरण में अचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 मिश्रित निधि से विश्वविद्यालय शुल्कों के रूप में ₹56,069 का भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मिश्रित निधि से रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को छात्रों के परिक्षा शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि के रूप में भुगतान किया गया है, जबकि मिश्रित निधि से इस प्रकार के भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः निम्न विवरणानुसार किये गये भुगतानों को नियमानुसार उचित ठहराया जाये इस राशि की अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

भुगतान की तिथि	भुगतान का विवरण	राशि
12.12.2009	बी0ए0 (i) छात्रों का परीक्षा शुल्क	17,780
16.12.2014	बी0ए0 3rd Year छात्रों का परीक्षा शुल्क	23,000
15.10.2013	बी0ए0 (i) छात्रों का पंजीकरण शुल्क	8,852
15.10.2013	बी0ए0 (ii) व (iii) छात्रों की continuation fee	6,437
	योग	**₹56,069**

14 भुगतान की ₹81,586 से सम्बन्धित बिल/वाउचर तथा अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

विभिन्न छात्र निधियों की रोकड़वहियों की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा इन निधियों से निम्न वर्णित राशियों की निकासी करके भुगतान.व्यय किया दर्शाया गया है, परन्तु आपूर्तिकर्ता जिसे भुगतान किया गया उसके बिल तथा जिस कार्य हेतु भुगतान किया गया उससे सम्बन्धित कोई भी उल्लेख रोकड़वही में दर्ज नहीं किया गया है, अपितु रोकड़वहीं में केवल मात्र सम्बन्धित राशि को कम किया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित निधियों की वाउचर फाईल में इन निकासियों से सम्बन्धित कोई भी बिल.वाउचर संलग्न नहीं है, जिसकी अनुपलब्धता में इन भुगतानों को उचित ठहराया नहीं जा सकता है। इस विषय को महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ अंकेक्षण के दौरान लाया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः यह मामला शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में इस आशय को लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में उच्चस्तरीय जांच के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख के बारे में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	दिनांक	निधि का नाम	राशि
1.	15.12.2011	House Exam Fund	28,480
2.	24.10.2011	Amalgamated Fund	7,828
3.	16.03.2012	Amalgamated Fund	14,193
4.	22.12.2012	Amalgamated Fund	10,000
5.	28.04.2014	Amalgamated Fund	16,800
6.	17.07.2013	Geography Proctical Fund (निधि से समान राशि का भुगतान दिनांक 27.04.2013 को रमेश जनरल स्टोर को भी किया गया है।)	910
7.	12.08.2011	खेल निधि	1750
	29.12.2011	खेल निधि	1625
		योग	**₹81,586**

15 महाविद्यालय के छात्रों तथा छात्राओं को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रैक्टिस के दौरान जलपान पर ₹25,500 का अनियमित भुगतान करना

दिनांक 12.5.2009 को कुल ₹25,500 का भुगतान महाविद्यालय के 96 छात्र व 74 छात्राओं द्वारा दिनांक 18 व 19 फरवरी 2009 को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु तैयारी करने हेतु दिनांक 9.2.2009 से 19.2.2009 के दौरान 10 दिन के लिए ₹15 प्रति छात्र प्रतिदिन की दर में जलपान का सामान उपलब्ध करवाने पर मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा तथा श्री जगदीश चन्द एण्ड सन्ज किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा

	छात्रों को दिये गये सामान का विवरण		छात्राओं को दिये गये सामान का विवरण	
क्र0 सं0	बिल सं0	सामान का विवरण	बिल सं0	सामान का विवरण
1.	34	192 अण्डे @ ₹3=₹576	66	148 अण्डे @ ₹3=₹444
	54	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480		74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370
2.	36	192 अण्डे @ ₹3=₹576	65	148 अण्डे @ ₹3=₹444
	52	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480		74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370
3.	38	192 अण्डे @ ₹3=₹576	64	148 अण्डे @ ₹3=₹444
	50	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480		74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370
4.	40	192 अण्डे @ ₹3=₹576	63	148 अण्डे @ ₹3=₹444
	48	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480		74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370
5.	43	192 अण्डे @ ₹3=₹576	62	148 अण्डे @ ₹3=₹444
	46	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480		74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370
6.	45	192 अण्डे @ ₹3=₹576	61	148 अण्डे @ ₹3=₹444
	35	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480		74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370
7.	44	192 अण्डे @ ₹3=₹576	60	148 अण्डे @ ₹3=₹444
	47	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480		74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370
8.	49	192 अण्डे @ ₹3=₹576	59	148 अण्डे @ ₹3=₹444
	37	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480		74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370
9.	51	192 अण्डे @ ₹3=₹576	58	148 अण्डे @ ₹3=₹444
	42	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480		74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370
10	39	192 अण्डे @ ₹3=₹576	57	148 अण्डे @ ₹3=₹444

53	96 ग्लास दूध @ ₹5=₹480	74 ग्लास दूध @ ₹5=₹370

श्री जगदीश चन्द एण्ड सन्ज

1.	55	96 केले @ ₹4=₹384	68	74 केले @ ₹4=₹296
2	56	96 केले @ ₹4=₹384	67	74 केले @ ₹4=₹296
3.	57	96 केले @ ₹4=₹384	70	74 केले @ ₹4=₹296
4.	58	96 केले @ ₹4=₹384	71	74 केले @ ₹4=₹296
5.	59	96 केले @ ₹4=₹384	72	74 केले @ ₹4=₹296
6.	60	96 केले @ ₹4=₹384	73	74 केले @ ₹4=₹296
7.	61	96 केले @ ₹4=₹384	74	74 केले @ ₹4=₹296
8.	62	96 केले @ ₹4=₹384	75	74 केले @ ₹4=₹296
9.	63	96 केले @ ₹4=₹384	76	74 केले @ ₹4=₹296
10	64	96 केले @ ₹4=₹384	77	74 केले @ ₹4=₹296

उक्त क्रय हेतु किये गये सामान का भुगतान निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएं पाई गई। अतः इन पाई गई आपत्तियों का निपटारा करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये अन्यथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत में करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(क) शिक्षा सत्र 2009/10 में महाविद्यालय में कुल 221 बच्चे थे, जिनमें 131 छात्र व 90 छात्राएं थीं। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा तथा 131 छात्रों में से 96 छात्रों को 90 छात्राओं में से 74 छात्राओं को अर्थात लगभग 77% छात्र–छात्राओं को उक्त वर्णित जलपान (Refreshment) दी गई दर्शाई गई है, परन्तु सम्बन्धित छात्र–छात्राओं का विवरण नहीं दिया गया है कि किन–किन छात्र–छात्राओं को किस–किस खेल की प्रैक्टिस करने पर यह रिफरैशमैण्ट दी गई है। इसके अतिरिक्त जिन नियमों के अर्न्तगत यह वितरण किया गया वह भी स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि नियमानुसार उक्त महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को प्रैक्टिस हेतु ही जलपान उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। अतः आन्तरिक जांच के उपरान्त इस भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाये तथा स्पष्ट किया जाये कि किस.किस छात्र–छात्रा द्वारा किस खेल की प्रैक्टिस की गई तथा उसे किसके द्वारा सत्यापित किया गया। इस सन्दर्भ में वांछित कार्रवाई करके आगामी अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा तथा श्री जगदीश चन्द एण्ड सन्ज से जलपान हेतु जो सामान लिया गया दर्शाया गया, उसके किसी भी बिल में तिथि अन्कित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाए कि जब मैं0 हरीश स्वीट शॉप से प्रतिदिन अण्डों व दूध की आपूर्ति ली गई तो उसके लिये उनसे 3 बिल प्रतिदिन लेने की क्या आवश्यकता थी, जबकि यह आपूर्ति एक ही बिल पर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाए कि उक्त फर्म द्वारा प्रथमतः छात्रों के बिल (बिल संख्या 34 से 54 तक) तथा बाद में छात्राओं के लिए बिल (बिल संख्या 57 से 66 तक) किस प्रकार जारी किए गए काटे गये। इसी प्रकार मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज द्वारा केलों की आपूर्ति हेतु किस प्रकार पहले छात्रों के बिल (बिल संख्या 55 से 64 तक) तथा बाद में छात्राओं के बिल (बिल संख्या 55 से 77 तक) जारी किए, क्योंकि इससे यह प्रतीत होता है कि प्रथमतः छात्रों के लिये बिल जारी के लिए अलग से बिल रख लिये गये थे। अतः इस प्रकरण में आन्तरिक जांच के उपरान्त की गई कार्रवाई को उचित ठहराया जाये।

16 महाविद्यालय केन्द्रीय छात्र संगठन के वार्षिक समारोह "निर्माण.2008" में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को जलपान इत्यादि उपलब्ध करवाने पर किया गया भुगतान

(क) महाविद्यालय में दिनांक 24 व 25 दिसम्बर 2008 को सम्पन्न हुये केन्द्रीय छात्र संगठन के वार्षिक समारोह "निर्माण–2008" में भाग लेने वाले छात्र–छात्राओं द्वारा डॉस, ड्रामा तथा डिबेट इत्यादि में भाग लेने हेतु प्रैक्टिस करने पर जलपान उपलब्ध करवाने पर ₹15 प्रति छात्र प्रति दिन की दर निम्न विवरणानुसार कुल ₹19,500 का भुगतान दिनांक 12.5.2009 को किया गया।

क्र0 सं0	दिनांक जिस दिन रिफरैशमैण्ट दी गई	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल सं0	दिनांक	सामान का विवरण	राशि
1	15.12.2008	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज	12 86 40	15.12.2008 15.12.2008 15.12.2008	8 किलो बर्फी @120= ₹960 132 बालु शाही @3= ₹396 66 दूध ग्लास @5= ₹330 66 केले @4=₹264	1950
2	16.12.2008	मैं0 हरीश स्वीट शॉप एण्ड ढाबा मैं0 जगदीश चन्द एण्ड सन्ज	16 87 41	16.12.2008 16.11.2008 16.12.2008	यथोपरि	1950

3	17.12.2008	यथोपरि	18	17.12.2008	यथोपरि	1950
		यथोपरि	88	17.12.2008		
			43	17.12.2008		
4	18.12.2008	यथोपरि	20	18.12.2008	यथोपरि	1950
		यथोपरि	89	18.12.2008		
			46	18.12.2008		
5	19.12.2008	यथोपरि	14	19.12.2008	यथोपरि	1950
		यथोपरि	90	19.12.2008		
			48	19.12.2008		
6	20.12.2008	यथोपरि	22	20.12.2008	यथोपरि	1950
		यथोपरि	91	20.12.2008		
			50	20.12.2008		
7	22.12.2008	यथोपरि	24	22.12.2008	यथोपरि	1950
		यथोपरि	92	22.12.2008		
			87	22.12.2008		
8	23.12.2008	यथोपरि	26	23.12.2008	यथोपरि	1950
		यथोपरि	93	23.12.2008		
			52	23.12.2008		
9	24.12.2008	यथोपरि	28	24.12.2008	यथोपरि	1950
		यथोपरि	94	24.12.2008		
			63	24.12.2008		
10	25.12.2008	यथोपरि	30	25.12.2008	यथोपरि	1950
		यथोपरि	95	25.12.2008		
			54	25.12.2008		
					कुल भुगतान	**₹19500**

उक्त भुगतान/व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निपटारा करके किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये:–

(i) नियमानुसार बी0एस0सी0ए0 के कार्यक्रम की तैयारी हेतु जलपान उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। महाविद्यालय द्वारा जलपान केवल अन्तरमहाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को दिया जा सकता है। अतः जिन नियमों के अर्न्तगत यह भुगतान किया गया उन्हें दर्शाकर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(ii) महाविद्यालय द्वारा प्रैक्टिस के दौरान जिन 66 छात्र व 66 छात्राओं को जलपान उपलब्ध करवाया गया दर्शाया गया है उनका विवरण नहीं दिया गया, जिसके कारण स्पष्ट किए जाये।

(iii) महाविद्यालय द्वारा उक्त भुगतान करते समय यह प्रमाणित किया गया कि 66 छात्रों द्वारा सुबह के समय तथा 66 छात्राओं द्वारा शाम के समय प्रैक्टिस की गई। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाए कि क्या उक्त प्रतियोगिता में छात्रों तथा छात्राओं द्वारा संयुक्त रूप से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया।

(ख) इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा किए गए निम्न विवरणानुसार भुगतान में भी अनियमितताएं पाई गई, जिनका निपटारा करनके किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए :–

(i) मैं0 अमर ट्रैडर के बिल संख्या 45 दिनांक 22.12.2008 के अन्तर्गत 22 समृतिचिन्ह ₹40 प्रति समृतिचिन्ह की दर से खरीदने हेतु दिनांक 12.05.2009 को कुल ₹880 का भुगतान किया गया तथा स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 10 के क्रम संख्या 297 पर इन्द्राज करके उक्त स्मृतिचिन्ह छात्रों में वितरित किये गये दर्शाकर इन्हें स्टॉक से खारिज कर दिया गया, परन्तु जिन.जिन छात्रों को स्मृतिचिन्ह वितरित किए गए उनका कोई विवरण नहीं दिया गया, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अपेक्षित विवरण देकर किये गये विवरण व भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(ii) मैं0 वेद जनरल स्टोर में उनके बिल संख्या 135 दिनांक 26.12.2008 के अन्तर्गत साज.सजावट के सामान खरीदने पर ₹653 का भुगतान किया गया जिसका स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 10 के क्रम संख्या 297 पर इन्द्राज करके इन्हें सामान को स्टॉक से खारिज कर दिया गया, परन्तु महाविद्यालय द्वारा साज.सजावट का क्या.क्या सामान खरीदा गया, उसका कोई विवरण नहीं दिया गया, जिसके कारण स्पष्ट किया जाये तथा पूर्व विवरण देकर एवं इस सामान के उपयोग से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करके किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(iii) मैं0 देवी दास एण्ड सन्ज को उनके बिल संख्या 405 दिनांक 30.12.2008 के अन्तर्गत साज. सज्जा का सामान खरीदने पर ₹514 का भुगतान किया गया तथा स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 9 के क्रम संख्या 245 पर इसका इन्द्राज करने के उपरान्त इन्हें छात्रों को जारी किया गया दर्शाकर इन्हें स्टॉक से खारिज कर किया गया। परन्तु जिन.जिन छात्रों द्वारा सामान को प्रयोग में लाया गया उनसे सम्बन्धित कोई विवरण नहीं किया गया। अतः अपेक्षित विवरण देकर गई खरीद व खपत को उचित ठहराया जाये अन्यथा इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 पुस्तकालय हेतु खरीदी गई 30 नम्बर कुर्सियों की खरीद पर ₹54,000 का व्यय करने से सम्बन्धित अनियमितताएं

मैं0 AVA Trading Co. Palampur को उनके बिल संख्या 1123 दिनांक 19.01.2015 के अर्न्तगत 30 नम्बर Library Chairs खरीदने हेतु ₹1,800 प्रति की दर ₹54,000 का भुगतान दिनांक 19.01.2015 को किया गया। उक्त क्रय में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निपटारा करके की गई खरीद व किए गए भुगतान उचित ठहराया जाये।

(क) इस खरीद हेतु 6 फर्मों से दिनांक 22.11.2014 को निविदाएं आमन्त्रित की गई दर्शाई गई परन्तु जिस पत्र संख्या के अन्तर्गत से यह निविदाए आमन्त्रित की गई, उनमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह निविदाएं स्थल पर एकत्रित की गई अथवा डाक के माध्यम से मंगवाई गई थीं। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) निविदाएं आमन्त्रण पत्र में केवल 1 नम्बर Library Chair की खरीद हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई, जबकि खरीद 30 कुर्सियों की जानी थी। अतः जब खरीद 30 कुर्सियों की जानी थी तो निविदाएं में केवल एक कुर्सी खरीद हेतु निविदाएं आमन्त्रित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त निविदाओं में Library Chair की Specified.Make नहीं दर्शाया गया था तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा भी कुर्सियों की विशिष्टिता दर्शाऐ बिना ही Library Chair की ₹1,800 प्रति chair की दर पर दरें देकर सामान की आपूर्ति कर दी गई। अतः बिना Specified विशिष्टिता दर्शाऐ सामान की खरीद करना तथा केवलएक कुर्सी हेतु दरे आमन्त्रित करके 30 कुर्सियों की खरीद करने के फलस्वरूप इस प्रकरण में किसी भी प्रकार के अनुचित एवं अधिक भुगतान को भी नकारा नहीं जा सकता है। अतः इस प्रकरण में आन्तरिक जांच के उपरान्त की गई कार्रवाई एवं वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस प्रकरण में निविदाएं आमन्त्रित करके ₹1800 प्रति कुर्सी की दर कुर्सियां की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश मानकदरों (Rate Contract) में विभिन्न विशिष्टिताओं की कुर्सियों की जो दरें निश्चित.निर्धारित की गई थीं, वह केवल ₹450 में ₹1070 तक थीं, जिनका विवरण निम्नलिखित हैं।

Sr. No.	I com code	Rate Per Unit
1.	M 4401033001	1070
2.	M 4401031002	1000
3.	M 4401013001	650
4.	M 4401013006	450
5.	M 4401014000	570

इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा उक्त वर्णित दर संविदाओं में दर्शाई गई कुर्सियों की विशिष्टतताओं के अनुसार कुर्सियों की खरीद की जा सकती थी। अतः कुर्सियों की उपरोक्त खरीद को दर संविदा के आधार पर न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब खरीदी गई कुर्सियों का उक्त वर्णित दर संविदा में दर्शाई गई विशिष्टतताओं के अनुसार मिलान करके की गई खरीद व भुगतान को उचित ठहराया जाय तथा किसी प्रकार के अधिक भुगतान की अवस्था में अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त आन्तरिक जांच के उपरान्त यह भी स्पष्ट किया जाए कि खरीदी गई कुर्सियां महाविद्यालय के पुस्तकालय में ही लगाई गई है। इस प्रकरण में किसी भी प्रकार अनियमितता होने पर उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

18 हारपिक की खरीद करने पर ₹9,600 का अनियमित भुगतान करने के बारे में

(क) अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा महाविद्यालय के केवल 4 शौचालयों में प्रयोग हेतु एक ही दिन में निम्न विवरणानुसार अलग–अलग बिलों में 96 हारपिक की बोतलों की कुल खरीद ₹3,840 की गई दर्शाई गई तथा इन्हें स्टॉक में इन्द्राज के उपरान्त इस सामग्री को कार्यालय में प्रयोग किया गया दर्शाकर इन्हें स्टॉक में खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इन बिलों का भुगतान इकट्ठा न करके, दो अलग.अलग वाउचरों से 5 माह के अन्तराल में किया गया।

भुगतान की तिथि	आपूर्तिकर्ता का विवरण	बिल सं0	दिनांक	विवरण
30.12.2008	मैं0 हुसैन बेग हार्डवेयर एण्ड जनरल स्टोर	113	19.11.2008	24 बोतल @ 40=₹960
		110	19.11.2008	24 बोतल @ 40=₹960
12.05.2009	मैं0 हुसैन बेग हार्डवेयर एण्ड जनरल स्टोर	119	19.11.2008	24 बोतल @ 40=₹960
		124	शून्य (स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 19.11.2008 दर्शाई गई है)	24 बोतल @ 40=₹960

इस प्रकार 4 शौचालय हेतु 96 हारपिक बोतलों की खरीद, 4 अलग–अलग बिलों से किया जाना और भुगतान इकट्ठा न करके दो अलग–अलग वाउचरों के अन्तर्गत से 5 माह के अन्तराल में किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः एक ही दिन में 4 अलग–अलग बिलों में 96 बोतलों की खरीद करने व 5 माह के अन्तराल पर दो अलग–अलग वाउचरों के अन्तर्गत दो–दो बिलों का भुगतान करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा 4 शौचालयों में 96 बोतलों की खपत को उचित ठहराया जाये। इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित 96 बोतल हारपिक की खरीद के एक माह के उपरान्त दिनांक 31.12.2008 की पुनः मैं0 हुसैन बेग हार्डवेयर एण्ड जनरल स्टोर से उनके बिल संख्या 109 के अर्न्तगत 24 बोतल हारपिक की खरीद ₹40 प्रति बोतल की दर से करके कुल ₹960 का भुगतान किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 31.12.2008 को ही पुनः मैं0 शिव दयाल एण्ड सन्ज से उनके बिल संख्या 50 के अन्तर्गत भी 24 बोतलों की खरीद हेतु ₹960का भुगतान किया गया। इन दोनों बिलों का भुगतान दिनांक 12.05.2009 को किया गया। अतः उक्त विवरणानुसार व हारपिक को 96 बोतलों की खरीद के अतिरिक्त एक माह के अन्तराल के बाद दो अलग–अलग दुकानदारों से 24–24 हारपिक बोतलों की खरीद करने के कारण स्पष्ट किए जाये तथा इन खरीद एवं खपत को उचित ठहराया जाये।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त पुनः मैं0 हुसैन बेग हार्डवेयर एण्ड जनरल स्टोर से निम्न विवरणानुसार 96 बोतल हारपिक की खरीद करने पर कुल ₹3,840 का भुगतान किया गया तथा उन सभी बोतलों का स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 15 पर क्रम संख्या 460, 461, 462 व 476 के अन्तर्गत इन्द्राज इन्हें कार्यालय में प्रयोग किया गया दर्शाकर स्टॉक से खारिज कर दिया गया। अतः बार–बार हारपिक की

बोतलों की खरीद को उचित ठहराया जाये तथा यह भी स्पष्ट किया जाये कि बिल संख्या 833 से सामान की खरीद दिनांक 01.04.2009 को, बिल संख्या 830 से दिनांक 03.06.2009 को, बिल संख्या 828 से दिनांक 02.07.2009 तक बिल संख्या 826 की खरीद दिनांक 01.08.2009 को किस प्रकार की गई, जबकि बिल क्रमांक अनुसार 826, 828, 830 व 833 ही जारी किए गए हैं। अतः आन्तरिक जांच के उपरान्त उपरोक्त वर्णित समस्त की गई खरीद एवं खपत व भुगतान को उचित ठहराया जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

क्र0 सं0	**बिल सं0**	**दिनांक**	**मात्रा**	**दर**(प्रति बोतल)	**राशि**
1	833	1.4.2009	24 बोतल	40	960
2	830	3.6.2009	24 बोतल	40	960
3	828	2.7.2009	24 बोतल	40	960
4	826	1.8.2009	24 बोतल	40	960

19 मिश्रित निधि से ₹8,711 का अनियमित व्यय करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मिश्रित निधि से कार्यालय प्रयोग हेतु सामान की खरीद करके निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है, जबकि नियमानुसार छात्र निधियों का प्रयोग केवल छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने पर ही किया जा सकता है। अतः मिश्रित निधि से कार्यालय प्रयोग हेतु किये गये व्यय को नियमानुसार उचित ठहराने के लिए सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से व्यय की गई राशि की पूतिपूर्ति करके इसे वापिस जमा करवाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

भुगतान की तिथि	**आपूर्तिकर्ता का नाम व बिल संख्या**	**सामान का विवरण**	**राशि**
25.10.2008	अमन क्लाथ हाऊस बिल संख्या 32 दिनांक 26.10.2008	कपड़ा परदा 36 मी0@50	1300
	भगत राम टेलर	परदे सिलाई	400
	मैं0 शिव दयाल एण्ड सन्ज बिल संख्या 0917 दिनांक 23.09.2008	4 पीस पर्दा पाईप 460 60 पीस रिंग 90 1 डिब्बी पेच व गिट्टी 65	615
25.10.2008	वेद जनरल स्टोर बिल संख्या 420 दिनांक 12.09.2008	2 Pen Stand @ 330 = 660 1 Calcutater = 250 4 Pilot Pen Blue @25 = 100 2 Pilot Pen Green @ 25 = 50 1 Rim Full Size = 220 2 Stepler 24/6 @ 80 = 160	1630

		1 Punch Machine = 110 1 Gum Bottel = 30 2 PKT Paper Pin = 40 2 Cello Tape@5 = 10	
21.10.2008	मैं0 हुसैन बेग हार्डवेयर स्टोर बिल संख्या 1296 दिनांक 30.09.2008	बोर्ड 19 m.m 4’-6’=3 No.x₹672 प्रतिएक,	2016
		प्लाई 6 m.m 3’-6’=2 No. ₹230 प्रतिएक	460
		सनमाईका लार्ज 3 शीट ₹360 प्रति एक	1080
		फेविकोल 1½ किलो ₹160 प्रतिकिलो	250
		किलें 2 किलो ₹80 प्रतिकिलो	160
		मजदूरी 4 दिन ₹200 प्रतिदिन	800
		कुल योग	**₹4,766**

इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित सामान की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 5 पर क्रम संख्या 139 से 144 के अन्तर्गत करके कार्यालय में प्रयोग किया गया दर्शाकर स्टॉक से खारिज कर दिया गया, परन्तु यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि महाविद्यालय द्वारा क्या कार्य करवाया गया। अतः करवाये गये कार्य का पूर्ण विवरण देकर किये गये व्यय को उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से व्यय की गई राशि वसूली करके उस राशि को वापिस जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

20 नियमों की अवहेलना करते हुए ₹18,779 का क्रम छोटे–छोटे बिलों के अतिगति करने बारे

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने से बचने हेतु सामान की खरीद इकट्ठी न करके छोटे.छोटे बिलों में की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 100 में इस प्रकार खरीद करने पर पूर्ण रोक है। अतः आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने से बचने हेतु छोटे.छोटे बिलों में सामान की खरीद करना अनियमित है तथा नियमों की अवहेलना है, जिसमें किसी प्रकार के गलत.अधिक भुगतान को नहीं नकारा जा सकता है। अतः छोटे.छोटे बिलों से सामान की खरीद करने के कारण स्पष्ट किए जाये तथा जांच के उपरान्त किसी भी प्रकार के गलत.अधिक भुगतान को नकारते हुये की गई खरीद को उचित ठहराया जाये तथा अधिक भुगतान की अवस्था में इस प्रकरण में उचित कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमों की पूर्ण अनुपालना करते हुये खरीद की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त मैं0 वेद जनरल स्टोर, तीसा से उनके बिल संख्या 1285 दिनांक 17.7.2014, बिल संख्या 1281 दिनांक 27.7.2014, बिल संख्या 1286 दिनांक 4.8.2014, बिल संख्या

1284 दिनांक 20.8.2014 तथा बिल संख्या 1283 दिनांक 2.9.2014 के अन्तर्गत की गई खरीद में स्पष्ट किया जाये कि उलटे क्रम से बिलों का जारी किया जाना व खरीद किस प्रकार सम्भव हुई।

क्र0 सं0	भुगतान की तिथि	आपूर्तिकर्ता का विवरण	बिल सं0	तिथि	सामान का विवरण	राशि
1.	11.09.2014	Aar.L.Furniture Tissa	1214	12.09.2014	4 स्टूल@725	2,900
			1215	13.09.2014	4 स्टूल@725	2,900
		मैं0 वेद जनरल स्टोर तीसा	1285	17.07.2014	1 Black Board 3'x5'	2,000
			1281	27.07.2014	1 Black Board 3'x5'	2,000
			1286	04.08.2014	1 Black Board 3'x5'	2,000
			1284	20.08.2014	1 Black Board 3'x5'	2,000
			1283	02.09.2014	1 Black Board 3'x5'	2,000
2.	...02.2008	मैं0 भानु विज्ञान केन्द्र	2511	02.02.2008	Land Measuring	993
			2512	02.02.2008	tape Trough	993
			2514	02.02.2008	compass	933
					Trough Compass	
					Stencils Set	
					Raising Road	
					Measuring type	
					Metal Arrowas	
					कुल	**₹18,779**

21 खेल सामग्री का रख–रखाव ठीक ढंग से न करने बारे

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष मिश्रित निधि से जो खेलों का जो सामान खरीदा जाता है, उसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करके इन्हें छात्रों में वितरीत किया गया दर्शाया गया है अथवा पुराने समान को अनुपयोग्य.बेकार ठहराकर स्टॉक से खारिज कर दिया गया है, परन्तु जिन छात्रों को सामान दिया गया है न तो कोई उनका विवरण दिया गया है और न यह स्पष्ट किया गया कि सामान कब.कब खराब.बेकार हुआ तथा किसके द्वारा बेकार सामान का सत्यापन किया गया। कुछ इस प्रकार इस सन्दर्भ में किसी भी नियमों की अनुपालना नहीं की गई है, जबकि इस बारे में हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 145 व 146 में स्पष्ट प्रावधान दिये गये हैं। अतः सामान खरीदने के साथ ही छात्रों को बांटा गया दर्शाकर खारिज कर देने तथा छात्रों का वितरण/पावती के बिना स्टॉक से खारिज कर देना तथा अनुपयोग्य सामान को बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाये स्टॉक से खारिज कर देना अनियमित है तथा इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के सामान के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में सामान के प्रयोग

से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख की नियमानुसार जांच करवाकर की गई कार्रवाई एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में पूर्ण कौडल औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही सामान को स्टॉक से अनुपयोग्य ठहराकर खारिज किया जाये। उक्त प्रकार अनियमितताओं के कुछ विवरण निम्नलिखित हैं।

क्र0 सं0	भुगतान की तिथि	आपूर्तिकर्ता का विवरण व बिल संख्या	सामान का विवरण	स्टॉक प्रविष्टि का विवरण	टिप्पणी
1.	07.11.07	वेद जनरल स्टोर, बिल सं0 627 व 628	1 Bat = 800 1 Bat = 675 2 Bating Glover @ 60 = 120 2 Thai Pad @50 = 100 11 No. Knee Caps @ 15 = 165 4 No. L.Guard @ 20 = 80 1 No. Keeping Glubs = 250 1 No. Keeping Pad= 250 2 No. Batting Pad @ 350 = 700 2 No. Batting Rubber @ 20 = 40 2 No. Halmat @ 150 = 300 1 Set Vicket = 140 1 Rit Bag = 250	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं0 1 पर क्रम सं0 12 से 24 तक	Unserviceable (अनुपयोग्य शेष शून्य)
2.	25.10.08	वेद जनरल स्टोर बिल सं0 412 दिनांक 03.10.08	2 Bat @ 300 = 600 2 Batting Glover @ 80 = 160 3 Wicket @ 40 = 120 2 Helmat @ 300 = 600 1 Box Ball = 180=180 2 Pair Pad @ 295 = 590 4 Thai Pad @ 60 = 240 4 Safe Guard @ 20 = 80	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं0 4 पर क्र0 सं0 107 से 114 पर	Brocken and Unserviceable शेष शून्य
3.	25.10.08	वेद जनरल स्टोर बिल सं0 409 दिनांक 30.08.08	1 Net Valley Ball = 340 1 Valley Ball = 375 1 Basket = 375 10 Box Chalk = 120 3 Pilot Pen = 75	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं0 5 पर क्र0 सं0 128 से 132 तक	Used By Students शेष शून्य (क्रम के समर्थन में संलग्न तीन निवदाएं 2 माह बाद दिनांक 10.10.08 की है।)
4.	12.05.09	अमर ट्रेडर्ज मण्डी, बिल सं0 6 दिनांक 12.12.08	8 Badmintan Shuttle Cook @ 115 = 920 4 Cricket Ball @ 175 = 700 1 Valley Ball Synthatrie = 395 1 Balley Ball ..... = 250 1 Badmintan Net = 110 1 Hockey Ball = 45	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 9 के क्रम सं0 246 से 251 पर	Ussed to Students शेष शून्य (सामान की स्टॉक प्रविष्टि जिस दिन सामान खरीदा गया। उस दिन न कर 5 माह बाद भुगतान

					की तिथि को की गई।)
5.	12.05.09	ठाकुर जनरल स्टोर, बिल सं0 510 दिनांक 26.12.08	1 SC Bat = 600	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं0 10 क्रम सं0 298 पर	यथोपरि
6.	31.12.09	वेद जनरल स्टोर बिल सं0 377 व 381 दिनांक 31.12.09 व 30.12.09	1 Bat SS = 700 1 Pad Batting = 400	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं0 15 के क्र0 सं0 425 व 426 पर	Ussed to Students Balance Net (बिल सं0 377 से दिनांक 31.12.09 से दिनांक 30.12.09 को खरीद किस प्रकार सम्भव हुई)
7.	25.10.08	मैं0 वेद जनरल स्टोर बिल सं0 420 दिनांक 12.09.08	1 Basket Ball = 370	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 5 क्र0 सं0 145 पर	Ussed to Students Balance Net

22 अन्य विविध अनियमितताएं

(क) मैं0 देशराज न्यूज एजेन्सी को महाविद्यालय पुस्तकालय में समाचार पत्रों की आपूर्ति करने पर दिनांक 31.03.2012 को ₹1,937 तथा दिनांक 31.12.2012 को ₹2,242 का भुगतान पुस्तकालय प्रतिभूति से किया गया। अभिलेख.समाचार पत्रों स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि मैं0 देशराज न्यूज एजेन्सी को उनके द्वारा आपूर्ति किये गये समाचार पत्रों से अधिक दिनों का भुगतान किया गया है अर्थात जिन दिनों हेतु समाचार पत्र की आपूर्ति नहीं की गई उन दिनों का भी भुगतान किया गया, जिसके कारण स्पष्ट किए जाये व अधिक किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। इसके अतिरिक्त बिलों की जांच में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिकांश बिल अग्रिम में ही प्रस्तुत किये गये तथा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उनका सत्यापन करके भुगतान भी कर दिया गया, जैसे अमर उजाला व दैनिक जागरण के सभी बिल माह के शुरू में ही प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार जब महाविद्यालय द्वारा समाचार पत्र प्राप्त ही नहीं किये गये थे, तो उनके अग्रिम बिलों का सत्यापन किस प्रकार सम्भव हुआ, इसको स्पष्ट किया जाए तथा जांच के उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अधिक किये गये भुगतान का विवरण निम्नलिखित है।

समाचार	बिल सं0. दिनांक	माह जिस	बिल में	स्टॉक	अधिक	शून्य प्रति एक	अधिक

पत्र का नाम		हेतु भुगतान किया गया	दर्शाई गई मात्रा जिस हेतु भुगतान किया गया	रजिस्टर के अनुसार प्राप्त की गई मात्रा	भुगतान की गई मात्रा	समाचार पत्र	भुगतान की गई राशि
अमर उजाला	1752 / 8.6.11	जून 11	30 दिन	शून्य	30दिन	3.50	10.50
	1745 / 2.7.11	जुलाई 11	31 दिन	30 दिन	1 दिन	3.50	3.50
	1746 / 3.8.11	अगस्त 11	30 दिन	27 दिन	3 दिन	3.50	10.5
	1740 / 4.9.11	सितम्बर 11	30 दिन	27 दिन	3 दिन	3.50	10.5
	1750 / 7.12.11	दिसम्बर 11	31 दिन	30 दिन	1 दिन	3.50	3.50
	1112 / 1.2.12	फरवरी 12	23 दिन	21 दिन	2 दिन	3.50	7.00
दिव्य हिमाचल	1101 / 6.8.11	अगस्त 11	30 दिन	14 दिन	16दिन	3व4रू.	50.00
	1102 / 6.9.11	सितम्बर 11	31 दिन	26 दिन	4 दिन	3व4रू.	12
	1104 / 2.11.11	नवम्बर 11	30 दिन	25 दिन	5 दिन	3व4रू.	15
	1105 / 31.12.11	दिसम्बर 11	31 दिन	30 दिन	1 दिन	3व4रू.	3
	1111 / 1.2.12	फरवरी 12	23 दिन	16 दिन	7 दिन	3व4रू.	22
दैनिक जागरण	शून्य / 9.11	अगस्त 11	30 दिन	24 दिन	7 दिन	3.50	24.50
	दिसम्बर / 11	दिसम्बर 11	31 दिन	30 दिन	1 दिन	3.50	3.50
	फरवरी / 12	फरवरी 12	24 दिन	23 दिन	1 दिन	3.50	3.50
	मार्च / 12	मार्च 12	31 दिन	शून्य	31दिन	3.50	108.00
	अगस्त / 12	अगस्त 12	30 दिन	27 दिन	3 दिन	3.50	10.50
	सितम्बर / 12	सितम्बर 12	30 दिन	28 दिन	2 दिन	3.50	7.00
	अक्तूबर / 12	अक्तूबर	31 दिन	25 दिन	6 दिन	3.50	21.00
	नवम्बर / 12	नवम्बर	29 दिन	27 दिन	2 दिन	3.50	7.00
अमर उजाला	मार्च 12	मार्च	31 दिन	शून्य	31दिन	3.50व4.50रू	110
	अगस्त 12	अगस्त	30 दिन	27 दिन	3 दिन	3.50व4.50रू	10
	सितम्बर 12	सितम्बर	30 दिन	28 दिन	2 दिन	3.50व4.50रू	7
	अक्तूबर 12	अक्तूबर	31 दिन	25 दिन	6 दिन	3.50व4.50रू	22
	नवम्बर 12	नवम्बर	29 दिन	27 दिन	2 दिन	3.50व4.50रू	7
दिव्य हिमाचल	अगस्त 12	अगस्त	30 दिन	14 दिन	16दिन	3.50	56
	सितम्बर 12	सितम्बर	31 दिन	10 दिन	20दिन	3.50	70
	अक्तूबर 12	अक्तूबर	31 दिन	16 दिन	5 दिन	3.50	52
दी ट्रब्यून	नवम्बर 12	नवम्बर	29 दिन	27 दिन	2 दिन	3.50	7
	नवम्बर 12	नवम्बर	30 दिन	27 दिन	3 दिन	3	9
						कुल अधिक भुगतान की गई राशि	**₹778**

(ख) महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय के लिए दिनांक 22.3.2013 की ₹7,000 का भुगतान करके केवल साहित्य एवं शोध केन्द्र तीसा से 20 पुस्तके (चम्बा का अचम्भा) पुस्तकालय के लिए खरीदी गईं, जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा ₹400 प्रति मुल्य की पुस्तक की कुल 20 पुस्तकों की ₹8,000 पर ₹1000 की छूट प्रदान करके ₹7000 का भुगतान किया गया। इन पुस्तकों की स्टॉक प्रविष्टियां पुस्तकालय के

Accession Register के पृष्ठ 33 पर क्रमांक सं0 808 से 825 पर की गई अर्थात उपरोक्त क्रमांक के अनुसार केवल 18 पुस्तकों का इन्द्राज लिया गया शेष 2 पुस्तकों का इन्द्राज नहीं किया गया। अतः जांच के उपरान्त शेष पुस्तकों का भी इन्द्राज किया जाए अथवा 2 पुस्तकों की ₹800 वसूली करके तथा इसे निधि में वापिस जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ग) महाविद्यालय द्वारा दिनांक 6.11.2008 को श्री एम0एस0 जमवाल को ₹246 की प्रतिपूर्ति, उनके द्वारा श्री गौरव ओबराय मण्डी से दो पुस्तकें "A Porbe into unexplained" दिनांक 15.10.2008 को खरीदने पर हेतु की गई। इन पुस्तकों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ सं0 6 पर क्रमांक सं0 172 के अन्तर्गत करके इन्हें प्रयोग किया गया दर्शाया गया तथा शेष शून्य दर्शाकर इन्हें स्टॉक से खारिज कर दिया गया। अतः इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाते हुए व अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति करके इन्हें निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(घ) दिनांक 12.5.2009 मैं0 ठाकुर इनफोटैक मेन बाजार सलूणी से फोटोस्टेट इत्यादि कार्य करवाने पर कुल ₹1,974 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1	62 पृष्ठ कम्प्यूटर टाईपिंग दर ₹20 प्रति पृष्ठ		1240
2	384 पृष्ठ फोटोस्टेट दर ₹1 प्रति पृष्ठ		384
3	7 पुस्तकें स्पाईरल बाईडिंग दर ₹50		350
		योग	**₹1974**

उपरोक्त कार्य के सन्दर्भ में प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 10 के क्रमांक संख्या 293 से 295 पर की गई, परन्तु करवाये गये कार्य का कोई विवरण नहीं दिया गया। अतः उचित विवरण देकर इस व्यय को मिश्रित निधि पर उचित प्रभार ठहराया जाये अन्यथा किए गए भुगतान की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अपेक्षित राशि को मिश्रित निधि में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ङ) दिनांक 12.05.2009 को मैं0 वेद जनरल स्टोर से उनके बिल संख्या 890 दिनांक 31.12.2008 के अन्तर्गत 600 कापी फोटोस्टेट ₹1 प्रति कापी की दर पर करवाने पर ₹600 का भुगतान किया गया, परन्तु फोटोस्टेट में किए गए कार्य का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया। अतः पूर्ण विवरण देकर इस व्यय को मिश्रित निधि पर उचित प्रभार ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से इसकी वसूली करके यह राशि निधि कोष में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(च) दिनांक 23.10.2013 को मैं0 निरमल कम्प्यूटर सेंटर से उनके बिल संख्या 290 दिनांक 18.10. 2013 के अन्तर्गत 14 पुस्तकें "Spoken English and Personality Development " की खरीद करने पर ₹450 प्रति पुस्तक की दर से कुल ₹6,300 का भुगतान किया गया। इस खरीद के समर्थन में

कोई मूल्य सूची अभिलेख के साथ संलग्न नहीं की गई है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि इस क्रय में कितनी छूट प्राप्त की गई है और न ही इन पुस्तकों की कोई स्टॉक प्रविष्टि ली गई है। अतः इस प्रकरण की वांछित कार्रवाई करके सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर की गई कार्रवाई को उचित ठहराया जाये।

(छ) मैं0 एस0एस0 ऑफसेट प्रिंटर्ज से उनके बिल संख्या 80 व 81 दिनांक 15.12.2007 के अन्तर्गत छात्रों से शुल्क वसूलियों हेतु छपवाई गई रसीद पुस्तकों के लिए 19.02.2008 को ₹1,800 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1.	College Receipt Books 10 No - 100	1,000
2.	P.T.A Fund Collection R.B. 40 No. - 20	800
		₹1,800

इन रसीद पुस्तकों की स्टॉक प्रविष्टियां, स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 2 पर क्रम संख्या 44 व 45 के अन्तर्गत करके इन्हें कार्यालय में व पी0टी0ए0 में प्रयोग की गई दर्शाकर शेष शून्य दर्शाया गया, परन्तु इन रसीद बुकों को कब–कब प्रयोग में लाया गया, इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः जांच के उपरान्त प्रयोग सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाये ताकि रसीद पुस्तकों के किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारा जा सके। इसके अतिरिक्त मिश्रित निधि से पी0टी0ए0 हेतु की गई खरीद निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः पी0टी0ए0 हेतु व्यय की गई ₹800 की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत में करके इसे वापिस जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.03.2008 को पुनः मैं0 बामनी ऑफसेट प्रिंटर्ज से उनके बिल संख्या 397 दिनांक 04.03.2008 के अन्तर्गत 5 रसीद पुस्तके ₹100 प्रति रसीद बुक की दर पर छपवाने से ₹500 का भुगतान किया गया, जिसका स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 3 पर क्रमांक संख्या 61 के अन्तर्गत इन्द्राज करके इन्हें कार्यालय में प्रयोग किया गया दर्शाकर इनको स्टॉक से खारिज कर दिया गया, परन्तु इन रसीद पुस्तकों का कब प्रयोग में लाया गया कुछ स्पष्ट नहीं किया गया।

(ज) श्री दवेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक को महाविद्यालय में एन0एस0एस कार्यक्रम संचालित करने हेतु दिनांक 22.10.2014 को ₹15,000 ऋण के रूप में प्रदान की गई। अतः ऋण की उक्त राशि को वापिस प्राप्त करके इसे जमा करवाकर अनुपालन से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(झ) एन0एस0एस0 गतिविधियों हेतु दिनांक 19.10.2012 को ₹5,000 को ऋण के रूप में प्रदान करने हेतु निकासी की गई परन्तु न तो यह कुछ स्पष्ट किया गया है कि यह राशि किसको प्रदान की गई और न ही इस राशि को वापिस वसूलकर जमा करवाया गया है। इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई अमल में लाकर व राशि की वसूली करके की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ञ) हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 140(2) के अनुसार स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य होता है। अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय में कभी भी सामान का सत्यापन नहीं किया गया है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाये व नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाकर की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ट) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया कि महाविद्यालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे, जिनके अभाव में छात्र निधियों की राशि के दुरूपयोग की सम्भावना बनी रहती है। अतः नियमों के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित करें

(i) निवेश रजिस्टर

(ii) चालान रजिस्टर

(iii) जुर्माना निधि रजिस्टर इत्यादि।

23 **लघु आपत्ति विवरणीः—** यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु इनका निपटारा मौके पर ही कर दिया गया।

24 **निष्कर्ष :—** लेखों के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(5)(xi)(vi)136.15 खण्ड—1—0050—0052 दिनांकः05.01.2016, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः.

पंजीकृत
1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय तीसा, तहसील चुराह, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्ण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेंजे।
2. निदेशक शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—171001
3. विशेष सचिव (उच्च शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009